"आवश्यक"

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)125/पार्ट–3/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 22-05-2019

–:आदेश:– 72

राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड–प्रथम के भाग–IV अध्याय–10 एवं 11 में अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य शर्तों का उल्लेख किया हुआ है। प्रायः यह देखा गया है कि राज्य के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों द्वारा निजी कार्यों के लिए आकस्मिक अवकाश/उपार्जित अवकाश का आवेदन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पूर्व ही अवकाश के लिये प्रस्थान कर दिया जाता है अथवा अवकाश का उपभोग किया जाकर कार्य पर लौटने पर अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह नियम/आदेशों का उल्लंघन स्पष्ट है। यह स्थिति राजकार्य को सुगमता एवं कार्यपद्धति से कार्य निस्तारण में आकस्मिक रूकावट उत्पन्न करती है, जो कि प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है।

राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट–1 के अनुभाग–III आकस्मिक अवकाश में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 में प्रावधान है कि एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद/कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे "कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा" माना जावेगा और ऐसी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवाकाल को जब्त किया जा सकेगा जब तक संतोषप्रद कारण बताने पर उक्त अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है अथवा असाधारण अवकाशो में परिवर्तित नही कर दिया जाता है।

यह भी देखा गया है कि अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा राज्य के अधिकारियों के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने की जानकारी विभागाध्यक्ष को नहीं होती है और अधिकारी के अवकाश पर प्रस्थान किये जाने के पश्चात् उनके अवकाश पर होने की सूचना दी जाती है, यह एक गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीन कृत्य है। अतः समस्त अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को व्यादिष्ट किया जाता है कि अधिकारी के अवकाश पर प्रस्थान किये जाने से पूर्व इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को दिया जाना सुनिश्चित करें।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्षों/संभागीय अधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति करते समय उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

22/5/19

(के.एम.दूडिया),
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

D:\shailesh\2019\F(1)A\125\order 21-05-2019.docx

क्रमांक : एफ.1(ए)125/पार्ट–3/संस्था/बीमा/2019/2344-94 दिनांक : 22-05-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर/साधारण बीमा योजना/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का श्रम करें।
3. सिस्टम्स एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट http:/sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. नोटस बोर्ड मुख्यालय/जिला कार्यालय
5. रक्षित पत्रावली

(रामपाल परसोया),
संयुक्त निदेशक(संस्थापन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

D:\shailesh\2019\F(1)A\125\order 21-05-2019.docx